(3)

संख्या– 1192 / 38–7–09–347एनआरईजीए / 08टी.सी.–1

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः 05 अप्रैल, 2009

विषयः–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना वर्ष 2009–10 में कियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के समस्त जनपदों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के कियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम–2005 एवं उसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशिका में निहित व्यवस्थानुसार राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते की लागत, सामग्री अंश का 25 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश राज्य रोजगार गारण्टी परिषद पर होने वाले व्यय को वहन किया जायेगा। उक्त व्यय को वहन किये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से प्रथम त्रैमास (अप्रैल से जून, 2009) के व्यय हेतु रू0 59,25,00,000/–(रू0 उनसठ करोड पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:–

(1) जारी स्वीकृति के उपयोग के संबंध में सामान्य निर्वाचन, 2009 के संदर्भ में लागू आदर्श आचार संहिता के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।

(2) विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की वित्तीय स्वीकृतियां यथा सम्भव एक बार में ही जारी की जायं तथा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति न दी जाय। वित्तीय स्वीकृतियो में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जाय, जो सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक न हो।

(3) धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये मार्ग–निर्देशों/एक्ट में उल्लिखित व्यवस्था के कम में राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाली मदों पर ही किया जायेगा।

(4) सम्बन्धित जनपदों को धनराशि आवश्यक होने पर आवश्यकतानुसार ही अनुमन्य मदों में उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) कोषागार से धनराशि के आहरण करने तथा मितव्ययिता संबंधी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

(6) वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे नियमानुसार वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा। वित्तीय नियमों के अनुपालन हेतु वित्त नियंत्रक/अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास उत्तरदायी होगें।

1– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुदान संख्या–13 के लेखा शीर्षक–2505–ग्राम रोजगार–आयोजनागत–01–राष्ट्रीय कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–01–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना(राज्यांश)–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–490/दस–2009–231/2009 दिनांक: 20 मार्च, 2009 में निर्गत निर्देशों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–992 (1)/38–7–2009 तद्दिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

(1) स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(2) निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
(3) अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) वित्त(व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–2
(5) वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2
(6) राज्य योजना आयोग–1/2
(7) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(8) निदेशक, सांख्यिकी, उ0प्र0।
(9) नियोजन अनुभाग–3
(10) ग्राम्य विकास अनुभाग–3
(11) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(12) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(13) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
(14) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(15) निदेशक, वित्त सांख्यिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
(16) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।